पत्रांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)–123/2016...2621.....(5)/रा०

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
धनबाद।

राँची, दिनांक–20-06-18

विषय :– दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन म्यूटेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में आ रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–1457/रा0, दिनांक–06.04.18

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय पत्रांक–2861/रा0, दिनांक–08.06.17 द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन में आपके द्वारा उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में निम्नांकित कठिनाईयों के दृष्टांत प्रकाश में लाते हुए मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है, जिसके मुख्य बिन्दू निम्नांकित है:–

1. दिनांक–01.01.1946 के पूर्व तत्कालीन मध्यवर्त्ती के द्वारा निबंधित दस्तावेज के विरूद्ध जमींदार द्वारा बंदोबस्ती के आधार पर निर्गत जमींदारी रसीदें तथा 1955–56 से लगातार निर्गत सरकारी लगान रसीदें क्रेताओं द्वारा प्रस्तुत करना संभव नहीं होना।
2. वर्ष 1925 में हुए कैडेस्ट्रल सर्वे से 20–50 दशक में जमींदार से प्राप्त लगान रसीदें तथा 70–100 वर्ष के लंबी अवधि की भूतपूर्व जमींदारी रसीद तद्पोरांत 1955–56 से सरकारी लगान रसीदों से संबंधित कागजात का रैयतों द्वारा सुरक्षित संधारण नहीं होना।
3. सरकार स्तर से निर्गत लगान रसीद तथा उसके प्रति पन्ना (Counter Foil) का समुचित रूप से भंडारण एवं संधारण सुनिश्चित नहीं रहने के कारण प्रस्तुत लगान रसीद का सत्यापन संभवन नहीं हो पाना।

उपरोक्त कंडिकाओं में व्यक्त की गयी कठिनाईयों का समाधान निम्न प्रकार किया जा सकता है :–

1. 01.01.1946 के पूर्व तत्कालीन मध्यवर्त्तियों द्वारा निबंधित दस्तावेज के आधार पर सरकारी भूमि की बंदोबस्ती के आलोक में निर्गत जमींदारी रसीद तथा 1955–56 से लगातार निर्गत सरकारी लगान रसीद का तात्पर्य प्रति वर्ष का लगान रसीद नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि 01.01.1946 के पूर्व से की गयी बंदोबस्ती तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् 1955–56 से लगान रसीद निर्गत नहीं होने की अवधि तक का लगान के भुगतान में कहीं कोई बकाया नहीं हो। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 81 से 90 के प्रावधानों के आलोक में रैयत द्वारा सरकार को भूमि का लगान भुगतान किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त भूमि पर से रैयत को बेदखल किये जाने का प्रावधान है। यदि 01.01.1946 के पूर्व तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् 1955–56 से लगान रसीद निर्गत नहीं होने की अवधि तक लगान का भुगतान कुछ वर्षों के अंतराल में बकाया सहित किया गया हो, तो भी वह

मान्य होगा, बशर्ते कि बंदोबस्ती की तिथि से 1955–56 तक भूतपूर्व जमींदार द्वारा तथा उसके उपरांत सरकार को रैयत द्वारा एकमुश्त बकाया सहित केवल एक या दो अथवा कुछ रसीदें ही निर्गत न की गयी हो। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में आदेश पारित करने वाले सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी) की सरकारी भूमि बंदोबस्ती नियमानुसार होने के संबंध में संतुष्टि आवश्यक है।

2. यदि रैयतों द्वारा 1925 में हुए कैडैस्ट्रल सर्वे से जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् 1955–56 के पश्चात् निर्गत लगान रसीद नहीं होने अथवा उसका रैयतों द्वारा सुरक्षित संधारण नहीं होना, सभी मामलों में समरूप नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि कुछ रैयतों ने अपनी जमीन की रसीदें तथा अन्य कागजात सुरक्षित न रखा हो, परन्तु अधिकांश रैयत अपनी जमीन की कागजातों को पुश्त–दर–पुश्त हिफाजत के साथ रखा करते हैं।

3. बीते वित्तीय वर्षों में निर्गत राजस्व रसीदों के Counter Foil का भंडारण जिला अभिलेखागार में किया जाना अंचल कार्यालयों का अहम दायित्व है। समाहर्त्ता द्वारा अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करते समय उक्त Counter Foil का मिलान Register-3A तथा Register-3AA से करते हुए राजस्व वसूली का सत्यापन करना उनका दायित्व है। यदि किसी मामले में निर्गत राजस्व रसीदों का Counter Foil उपलब्ध नहीं हो तो रैयतों द्वारा उपलब्ध कराये गये राजस्व रसीदों का Register-3A तथा Register-3AA से सत्यापन किया जा सकता है।

सरकारी अभिलेखागार सरकारी कागजातों/अभिलेखों के सुरक्षित संधारण हेतु बने रहते है। यदि उन अभिलेखागारों में कागजातों को सुरक्षित नहीं रखा गया हो तो उसकी जाँच अपेक्षित है तथा तदनुरूप कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में तथा पत्रांक–2861/रा0, दिनांक–08.06.17 में दिये गये निदेशों तथा संगत अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/6/18

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)– 123/2016-2621(5)/रा० राँची, दिनांक–20-06-18

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।